न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी–श्री घनश्याम जोशी तहसीलदार बयाना)

प्र0स0 11/2019 ता0 रजु. 11.06.2019 किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 18.06.19

सरकार

बनाम

धर्मा पुत्र विश्ना जाति बंजारा निवासी फरसो तह0 बयाना जिला–भरतपुर।

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का फरसो ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि ग्राम फरसो के खसरा न0 3518/3381 रकवा 1.60 हैक्ट में से रकवा 0.04 हैक्ट किस्म भूमि गै.मु0नदी पर सम्वत 2076 में श्री धर्मा पुत्र विश्ना जाति बंजारा निवासी फरसो तह0 बयाना ने ईंधन बिटौरा डालकर अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी/अप्रार्थियों को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो शामिल मिसिल है। अप्रार्थी/अप्रार्थियों को न्यायालय हाजा से बार बार आवाज लगाई, बाबजूद नोटिस प्राप्ति अप्रार्थी/अप्रार्थीगण न्यायालय हाजा में पेशी दिनांक को उपस्थित नहीं आया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अप्रार्थी/अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अतिक्रमी द्वारा राजकीय सिवायचक/चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 3518/3381 रकवा 0.04 हैक्ट वाके ग्राम फरसो से बेदखल किया जाता है। लगान 0.64 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 32 रूपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी0आर0ए0 हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली खडी फसल को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी/अवैध कब्जा/ बेदखली बाबत् हल्का पटवारी/गिरदावर को आदेश जारी हों।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

इस पत्रावली का वाद सामग्री
रा. रे. सं. 04 के पेज नं. 5
दिनांक 18/6/19 को वर्ष 2019-20 में
पैनल्टी रु. 32 फसल नीलामी
रु. .... की जा चुकी है।

तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील बयाना

तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)